नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक आमेर मु० जयपुर

5145

केस संख्या : 87/25 मंगलचन्द बनाम सरकार

केस संख्या		
	8/10/25	पत्रावली प्रस्तुत व.प.उप. / इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28/10/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
तहसीलदार 1335 9/10/21	28/10/25	पत्रावली आज दिनांक 28/10/25 को दी डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/11/25 को पेश हो।
	12/11/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/11/25 को पेश हो।
	26/11/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/12/25 को पेश हो।
कुर्रेजात प्राप्त	5/12/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/25 को पेश हो।
	19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा/आमेर से प्राप्त हो चुकी है। वादी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी, कोई आपत्ति नहीं है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाकर डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Cheudhary
Date: 2026.01.16 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 87 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 12.06.2025

मंगलचन्द पुत्र देवाराम, जाति जाट, निवासी–भूरि की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

..वादी

बनाम

1. अमरी देवी पत्नी लक्ष्मण
2. ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. गोपाललाल पुत्र धन्नाराम
4. नाथू पुत्र हरबक्श
5. प्रेम देवी पत्नी मोहनलाल
   जातियान जाट, निवासीयान नासमो की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
6. पोखरराम पुत्र देवाराम
7. बाबूलाल पुत्र देवाराम
8. भैरूराम पुत्र देवाराम
9 रामलाल पुत्र देवाराम
   जातियान जाट, निवासीयान–चुरियों की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–जयरामपुरा, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
11. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, शाखा–जाहोता, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
12 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर), शाखा–आमेर, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
13. कारपोरेशन बैंक, शाखा–रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
14. तहसीलदार, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला–जयपुर (राज.) 15. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिलाधीश परिसर, जयपुर, राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 19.12.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वादपत्र में वादी ने अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम दत्तावता, बी.ए. निम्नलिखित भूमि खोराबीसल पटवार हल्का–चतरपुरा, तहसील–रामपुरा डाबड़ी, जिला–जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 22 पुराना 19 खसरा नंबर 146 रकबा 1.8600 हैक्टेयर कुल किता–1, कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को उक्त वादपत्र में एतस्मिनपश्चात् वाद भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वाद भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान / काश्तकारान है, जिनका हाल राजस्व अभिलेख में अविभाजित हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3–गोपाललाल एवं प्रतिवादी संख्या 8–भैरूराम का क्रमशः अविभाजित हिस्सा 1 / 18 व अविभाजित हिस्सा 2 / 15. प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

10 के समक्ष रहन है। प्रतिवादी संख्या 6– पोखरराम का अविभाजित हिस्सा 2 / 15 प्रतिवादी संख्या 11 के समक्ष रहन है। प्रतिवादी संख्या 9 का अविभाजित हिस्सा 2 / 15 प्रतिवादी संख्या 13 के समक्ष रहन है। वादी मंगलचन्द का अविभाजित हिस्सा 2 / 15 प्रतिवादी संख्या 12 के समक्ष रहन है। इसलिए राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर), कारपोरेशन बैंक हस्तगत वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, लिहाजा इन्हें क्रमशः प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के रूप में औपचारिक रूप से संयोजित किया गया है। 5. यह कि वाद भूमि का आज दिवस तक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वाद सम्पत्ति पर मौखिक बटवारे के आधार पर वाद भूमि पर काबिजकाश्त है। वादी ने दिनांक 09.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 से निवेदन किया कि पारस्परिक सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में भी वाद भूमि का विभाजन करा लेते है, तो प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गई तथा धमकी दी कि वह बिना बटवारे कराये ही अपने अविभाजित हिस्से को गैर कृषि प्रयोजनार्थ विक्रय किये जाने के साथ–साथ अजनबी क्रेता को वाद भूमि के विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करायेगी, जो मौके पर अकृषि कार्य भी करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त धमकी का शेष प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने विरोध करने के बजाय मौन समर्थन दिया, इसलिए उपरोक्त वादपत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त वाद का वाद कारण दिनांक 09.06.2025 को उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है। वाद कारण उत्पन्न होने की सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2025 से उक्त वादपत्र आज अन्दर मियाद श्रीमानजी के समक्ष पेश है। न्यायोचित न्याय शुल्क वादपत्र पर चस्पा कर दिया गया है। वाद भूमि न्यायालय हाजा के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमानजी को उक्त वाद को सुनने व निर्णित किये जाने की अधिकारिता है। वाद भूमि के भू–धारक रक प्रतिवादी संख्या 15 है, जिनके बिहाफ पर प्रतिवादी संख्या 14 लोकसेवक होने के नाते वाद भूमि धारित करते है। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस उन्हें प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जो हस्तगत वाद में इसलिए प्रेषित नहीं किया जा सका, क्योंकि यह वाद अत्यावश्यक व त्वरित प्रकृति का है, जिसके साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया है। उपरोक्त औपचारिकताओं की पालना के बाद वादपत्र पेश किया जाए, तो प्रतिवादी संख्या 1 अपने कुत्सित ईरादें में सफल हो जायेगी, जिससे वाद पेश करने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उपरोक्त नोटिस से उन्मुक्ति वास्ते वादपत्र के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी पेश कर दिया गया है। वादी अधिकारी है कि वह वाद भूमि का न्यायालय हाजा के माध्यम से विधिवत विभाजन कराकर अपने हिस्से का अलग खाता व लगान कायम करा सके। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वाद भूमि का विधिवत विभाजन होने से पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज अपनी सहखातेदारी का दुरूपयोग कर अपने नाम से दर्ज अविभाजित हिस्से को अन्य किसी भी

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति को ना तो अकृषि प्रयोजनार्थ विक्रीत करें एवं ना ही किसी को वाद भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर काबिज करावें। वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को भी इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सके कि वे वाद भूमि का विधिवत विभाजन होने तक इसके मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 19.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम खोराबीसल, पटवार हल्का–चतरपुरा, तहसील–रामपुरा डाबड़ी, जिला–जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 146 रकबा 1.8600 हैक्टेयर कुल किता–1, कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, उभयपक्षो को विभाजन में अपने अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचने हेतू सुगम रास्ते का प्रावधान करते हुए, बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4800 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तद्नुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. अमरी देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार, ग्यारसी लाल पुत्र रामचंद हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार, गोपाललाल पुत्र धन्नाराम हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/6 (पूर्ण खाता) आर.एम.जी.बी. शाखा जयरामपुरा, प्रेम देवी पत्नी मोहनलाल हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार, ... पुत्र हरबख्स हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 146/1 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. पोखरराम पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/5 पूर्ण खाता जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जाहोता, बाबूलाल पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार, भैरूराम पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आर.एम.जी.बी. शाखा जाहोता, मंगलचद पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेरस, रामलाल पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता)

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 87 / 2025
बउनवानी – मंगलचंद बनाम अमरी देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 19.12.2025

कार्पोरेशन बैंक शाखा रामपुरा डाबडी के हिस्से खसरा नंबर 146 / 2 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 87 / 2025
बउनवानी – मंगलचंद बनाम अमरी देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 19.12.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 87 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 12.06.2025

मंगलचन्द पुत्र देवाराम, जाति जाट, निवासी–भूरि की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

..वादी

बनाम

1. अमरी देवी पत्नी लक्ष्मण
2. ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. गोपाललाल पुत्र धन्नाराम
4. नाथू पुत्र हरबक्श
5. प्रेम देवी पत्नी मोहनलाल
   जातियान जाट, निवासीयान नासमो की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
6. पोखरराम पुत्र देवाराम
7. बाबूलाल पुत्र देवाराम
8. भैरूराम पुत्र देवाराम
9 रामलाल पुत्र देवाराम
   जातियान जाट, निवासीयान–चुरियों की ढाणी, तन–दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–जयरामपुरा, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
11. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, शाखा–जाहोता, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
12 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर), शाखा–आमेर, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
13. कारपोरेशन बैंक, शाखा–रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
14. तहसीलदार, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला–जयपुर (राज.) 15. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिलाधीश परिसर, जयपुर, राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान [illegible] 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रे [illegible] के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. अमरी देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह हि. 1/6 जाति [illegible] देह खातेदार, ग्यारसी लाल पुत्र रामचंद हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार, गोपाललाल पुत्र धन्नाराम हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/6 (पूर्ण खाता) आर.एम.जी.बी. शाखा जयरामपुरा, प्रेम देवी पत्नी मोहनलाल हि. 1/6 जाति जाट, सा. देह खातेदार, नाथू पुत्र हरबख्स हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 146/1 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 87/2025
बउनवानी – मंगलचंद बनाम अमरी देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 19.12.2025

2. पोखरराम पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/5 पूर्ण खाता जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जाहोता, बाबूलाल पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार, भैरूराम पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता आर.एम.जी.बी. शाखा जाहोता, मंगलचद पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेरस, रामलाल पुत्र देवाराम हि. 1/5 जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) कार्पोरेशन बैंक शाखा रामपुरा डाबडी के हिस्से खसरा नंबर 146/2 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.12.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested